

प्रेषक,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

संख्या: 683/आब0व्यव0/वि0म0दु0/2025-26/रुद्रप्रयाग: दिनांक: फरवरी 21, 2026
विषय:- जनपद रुद्रप्रयाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 की अवधि हेतु विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये दुकानवार राजस्व निर्धारण चार्ट के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन, आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून दिनांक: 05 मार्च, 2025 के द्वारा उत्तराखण्ड आबकारी नीति वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) प्रख्यापित की गयी है। उक्त प्रख्यापित आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26 के नियम-1 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के लिए जनपद के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवस्थापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 04 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये विदेशी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त के क्रम में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रसंख्या-22958/सातलाई0एस0-48/व्यव0/2026-27/2027-28/सा0निर्देश/व्यवस्थापन देहरादून दिनांक 03 फरवरी, 2026 में दिये गये नियमों एवं जारी दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग की वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 की अवधि हेतु विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण के लिये दुकानवार राजस्व निर्धारण चार्ट संलग्न कर सेवा में सादर प्रेषित है।

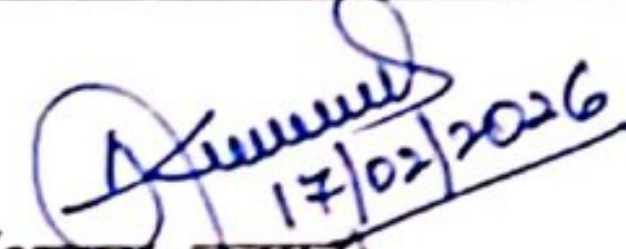
संलग्नक:- यथोपरि।

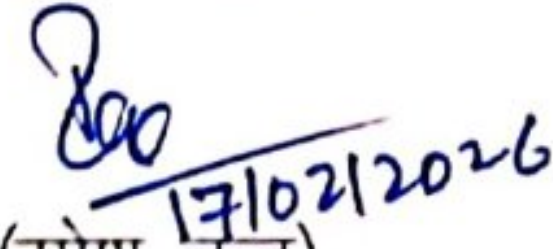
भवदीय

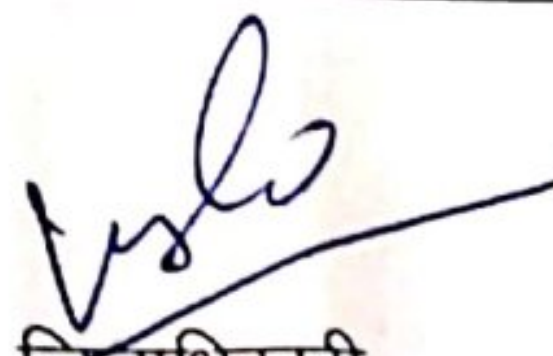
(विशाल मिश्रा)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-176/XXIII-1/2025-04(01)/2025 देहरादून: दिनांक: 05 मार्च 2025 के अनुसार
वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु दिनांक 01.04.2027 से 31.03.2028 तक जनपद रुद्रप्रयाग की विदेशी मदिरा की दुकानों के नवीनीकरण हेतु
निर्धारित राजस्व विवरण:-

क्र० सं०	विदेशी मदिरा की दुकान का नाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निर्धारित राजस्व	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व (वर्ष 2026-27 के निर्धारित राजस्व में 4 % वृद्धि करते हुए)	अनुज्ञापन शुल्क (कुल राजस्व का 1% (1000 के पूर्णांक में) (कॉलम 4 का 1%)	वित्तीय वर्ष 2027-28 का कुल निर्धारित वार्षिक अधिभार (कॉलम 4-5)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु मासिक अधिभार (कॉलम 6 का 1/12)	वित्तीय वर्ष 2027-28 हेतु निर्धारित राजस्व का 0.35 % या 50000/- रु० जो अधिक हो नवीनीकरण शुल्क	हैसियत (कुल राजस्व का 15 %) (कॉलम 4 का 15%)	प्रथम प्रतिभूति (कॉलम 7 के समान)	द्वितीय प्रतिभूति (कॉलम 7 के समान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	काकडागाड	151679375	157746550	1577000	156169550	13014129	552113	23661983	13014129	13014129
2	रुद्रप्रयाग	146950853	152828887	1528000	151300887	12608407	534901	22924333	12608407	12608407
3	अगस्त्यमुनि	131020681	136261508	1363000	134898508	11241542	476915	20439226	11241542	11241542
4	तिलवाडा	97154054	101040216	1010000	100030216	8335851	353641	15156032	8335851	8335851
5	मयाली	57032526	59313827	593000	58720827	4893402	207598	8897074	4893402	4893402
6	घोलतीर	45377087	47192171	472000	46720171	3893348	165173	7078826	3893348	3893348
7	खांकरा	41539210	43200778	432000	42768778	3564065	151203	6480117	3564065	3564065
8	बसुकेदार	41188034	42835555	428000	42407555	3533963	149924	6425333	3533963	3533963
9	चोपता	33183564	34510907	345000	34165907	2847159	120788	5176636	2847159	2847159
10	खेडाखाल	8992797	9352509	94000	9258509	771543	50000	1402876	771543	771543
	कुल योग	754118181	784282908	7842000	776440908	64703409	2762256	117642436	64703409	64703409


(अजय कुमार)
आबकारी निरीक्षक,
रुद्रप्रयाग।


(रमेश चन्द्र)
जिला आबकारी अधिकारी,
रुद्रप्रयाग।


जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।